

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1225 / 2011 / अजमेर.

मैसर्स पी. पी. मंडल कंस्ट्रक्शन,
बालूपुरा रोड, अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. माहेश्वरी,
अधिकृत प्रतिनिधि

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

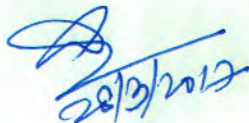
निर्णय दिनांक : 28/03/2017

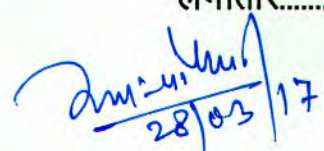
निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 1444/10-11/वैट/अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.04.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के वैट अधिनियम की धारा 23 व 24 के तहत वर्ष 2007-08 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2010 की पुष्टि की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी वाणिज्यिक कर विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत है। आलौच्य अवधि के कर निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि व्यवहारी को ठेकेदार मैसर्स इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड (जिसे आगे 'I.I.L.' कहा जायेगा) द्वारा रेलवे की अजमेर-रेवाड़ी की रेलवे लाइन के वर्क साईट के पास 80,000 क्यूबिक मीटर मशीन से क्रस्ड स्टोन ब्लास्ट सप्लाई व स्टेकिंग करने का ठेका प्राप्त हुआ है। व्यवहारी ने स्वयं को मुख्य ठेकेदार I.I.L. का सब-कॉन्ट्रैक्टर मानते हुए तथा मुख्य ठेकेदार द्वारा उसे प्राप्त पूर्ण ठेके पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 अनुसार मुक्ति शुल्क @ 1.50% जमा कराने के कारण स्वयं के ठेका कार्य उप-ठेकेदार होने के आधार पर करदेयता नहीं होना बताया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए आलौच्य अवधि में क्रस्ड स्टोन ब्लास्ट

लगातार.....2




28/03/17

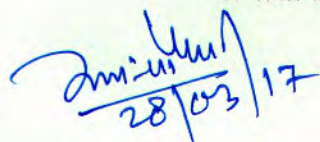
की, की गई बिक्री रुपये 1,70,71,089/- पर @ 12.50% से कर रुपये 21,33,886/- आरोपित किया एवं कर जमा नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज रुपये 4,78,100/- आरोपित किया तथा त्रैमासिक विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रुपये 15,090/- आरोपित की। इस आदेश को अपीलीय स्तर पर चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने के विरुद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री ओ. पी. माहेश्वरी ने बहस में कथन किया कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 (जिसे आगे 'वैट नियम' कहा जायेगा) के नियम 22(2ए) के अनुसार मुख्य ठेकेदार द्वारा पूरे ठेके पर करमुक्ति शुल्क जमा कराने पर सब-कॉन्ट्रैक्टर का टर्नओवर भी उसमें शामिल होने के कारण करमुक्त है। उनका कथन है कि मुख्य ठेकेदार I.I.L. द्वारा दिनांक 2.11.2006 में प्राप्त मुक्ति प्रमाण-पत्र संख्या 2/6/2006-07/88 में "All permanent way works including supply of balast, P way material and connected Electrical work in connection with the work of Gauge conversion of Meter Gauge Railway Line to Broad Gauge Line of Rewari-Ringus, Phulera-Ajmer section of N.W. Rly. As per Volume III Sec 5. cost (Related to Raj. State) as follows work order No. RVN1/Project/RE-AJ/Contract-2005-02 dt. 17.11.2005" में सब-कॉन्ट्रैक्टर अपीलार्थी द्वारा किया हुआ ब्लास्ट की सप्लाई कार्य शामिल होने के कारण यह करमुक्त है। अपने तर्क के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ के स्वयं के प्रकरण वर्ष 2006-07 में अपील संख्या 204/2010/अजमेर निर्णय दिनांक 09.01.2013 को उद्धरित कर कथन किया कि माननीय खण्डपीठ के निर्णय से प्रस्तुत प्रकरण आच्छादित होने के कारण विवाद समाप्त हो चुका है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. अग्रिम कथन किया कि माननीय खण्डपीठ ने (2012) 33 टैक्स अपडेट 290 में सहायक आयुक्त वर्क्स टैक्स बनाम सद्भाव इंजीनियरिंग लिमि. उदयपुर प्रकरण में भी निर्णय दिनांक 3.7.2002 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि मुख्य ठेकेदार द्वारा करमुक्ति शुल्क जमा कराकर स्वयं के ठेके का कुछ भाग सब-कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया जाता है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 25(4) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.3.2001 अनुसार वर्क कॉन्ट्रैक्ट में अन्तर्वलित माल पर पुनः करारोपण नहीं किया जा सकता है। वैट नियम 22(2ए) को भी उद्धरित किया है-



लगातार.....3

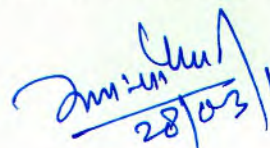


22(2A).- In case of a works contract, where a works contractor exercises option of exemption fee under a notification issued under sub-section (3) of Section 8, awards whole or part of such contract to a sub-contractor, while determining the taxable turnover of subcontractor apart from deduction provided under sub-rule (1), the turnover of transfer of property in goods involved in execution of such sub-contract, shall be deducted.

5. यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मुख्य कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कर के बदले करमुक्ति शुल्क जमा कराने पर सब-कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ठेका कार्य पर करारोपण दोहरे करारोपण की श्रेणी में आता है, जो कि अविधिक है। तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये हैं :-

- (1) (2000) 120 एस.टी.सी. (पंजाब एण्ड हरियाणा)
डी.एल.एफ. इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा
- (2) (2000) 120 एस.टी.सी. 602 (कर्नाटक)
पी. वेंकटेश्वर राव एण्ड कं० बनाम अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर
- (3) (2008) 22 टैक्स अपडेट 217 (एस.सी.)
स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश बनाम एल. एण्ड टी. लिमिटेड
(Arose from (2006) 16 टैक्स अपडेट 34) (आंध्रप्रदेश)
एल. एण्ड टी. बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश
- (4) अपील संख्या 430/2010/अजमेर मैसर्स पी.पी. मंडल कंस्ट्रक्शन
अजमेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर निर्णय दिनांक
9.01.2013
- (5) (2016) 26 जे. के. जैन वेट रिपोर्टर 119 (एस.सी.) लार्सन एण्ड ट्यूब्रो
बनाम अतिरिक्त उपायुक्त, वाणिज्यिक कर प्रस्तुत किया, जिसमें व्यवस्था
दी गयी है कि :- Execution of Works contract through sub-
contractor results in only one taxable event of sale from sub-
contractor to the contractee based on the principle of accretion of
property in goods - To levy and collect tax from both the sub-
contractor and contractor by treating two taxable events of sale-one
from contractor to contractee and other from sub-contractor to
contractor, would be violative of Art. 366 (29A)(b), Const. of India
Moreover, it may result in double taxable which violative of Art. 14,
19(1)(g) and 265 of the const. of India.
- (6) अपील संख्या-312/2008/उदयपुर (2012) 33 टैक्स अपडेट 290
(रा.क.बो.)
- (7) (1985) 60 एस.टी.सी. 213 (एस.सी.) स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम टिटागढ़
मिल्स कं० लिमिटेड में व्यवस्था दी गयी है कि :- Double taxation not
permitted - levy & collect tax from the contract to contractee & other
from sub-contractor to contractor would result in double taxation
otherwise also violative to article 14, 19(1)(g) and 265 of the
constitution of India.



 28/03/17 लगातार.....4

6. उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय आदेशों को अपास्त करने पर बल दिया।
7. प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी ने I.I.L. को मशीन क्रस्ड विशिष्ट साईज की ब्लास्ट उसकी साईट के पास सप्लाई कर चट्टे बांधने का ऑर्डर दिया है। यह कार्य केवल माल की सप्लाई का है, जो कि विक्रय की परिभाषा में आता है। अपीलार्थी ने I.I.L. की उसके अवार्डर द्वारा दिये गये संविदा कार्य में से किसी संविदा कार्य का निष्पादन नहीं किया है। अधिनियम की धारा 2(44) के तहत कार्य संविदा (Work contract) की परिभाषा की ओर ध्यान आकृष्ट कर कथन किया कि कार्य संविदा की परिभाषा में ऐसे कार्य किये जाने की संविदा आती है, जिसमें अवार्डर की चल या अचल सम्पत्ति में Assembling, construction, building, altering, manufacturing, processing, fabricating, erection, installation, fitting out, improvement repair or commissioning की जावे। अपीलार्थी ने I.I.L. द्वारा दिये गये आदेश में अवार्डर की सम्पत्ति पर माल प्रयुक्त करने का कोई कार्य सम्पादित नहीं किया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को I.I.L. द्वारा जारी Letter of Acceptance दिनांक 3.3.2006 में सप्लाई आदेश दिया है, जो इस प्रकार है :-

"Supply and staking of 80,000 cum of machine crushed stone ballast (size as per RDSO specification at site of work on less/yards, including, handling, leading, lifting, ascends, descends, crossings of lines/tracks abstraction with contractors labour, material, tools, plants, Transport etc. complete for section between 260 to 295 Rewari Ajmer line of North Western Railway."

8. यह केवल सप्लाई आदेश है। अपीलार्थी द्वारा I.I.L. को उसे कार्यस्थल के पास माल की सप्लाई चट्टे बनाकर दिये जाने की अनुपालना की गई है। यह विक्रय की परिभाषा 2(35)(i) के तहत शुमार होती है। इस पर @ 12.5 % से करदेयता बनती है।
9. अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित निर्णयों में सब-कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कॉन्ट्रेक्टर को अवार्ड किये गये कार्य संविदा को भागतः निष्पादित किया है, इसलिए माननीय न्यायालयों ने सब-कॉन्ट्रेक्टर के निष्पादन को मुख्य ठेकेदार द्वारा मुक्ति शुल्क लिये जाने या अन्यथा उसके टर्नओवर में शामिल नहीं किया है जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी को कार्य संविदा प्राप्त नहीं होकर माल के विक्रय का आदेश प्राप्त था इसलिए यह निर्णय इस प्रकरण में प्रासंगिक नहीं होना बताते हुए अपील खारिज किये जाने पर बल दिया।



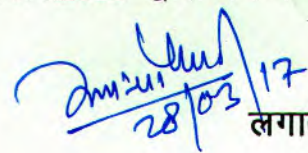
Amal Kumar
28/03/17

लगातार.....5

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को यह सप्लाई आदेश कौन्ट्रेक्टर I.I.L. द्वारा वर्ष 2006-07 में दिनांक 03.03.2006 को दिया गया था एवं उसी सप्लाई आदेश के अनुक्रम में वर्ष 2006-07 से लगातार इस वित्तीय वर्ष में भी माल की सप्लाई की जा रही थी। चूंकि वित्तीय वर्ष 2006-07 से ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं को सब-कौन्ट्रेक्टर माने जाने पर बल दिया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारियों ने अपीलार्थी के कार्यादेश को कार्य संविदा न मानकर सीधा माल की सप्लाई का आदेश होने से माल का विक्रय माना था एवं Transfer of property in goods and deemed sale नहीं माना था। इस तरह मूल विवाद इस धूरी पर था कि अपीलार्थी का कार्य एक संविदा कार्य है अथवा केवल माल के विक्रय का अनुबंध है। कर निर्धारण अधिकारी ने इस अनुबंध को केवल माल का विक्रय माना है अतः उसके माल का विक्रय एक deemed sale in work contract नहीं है अतः सब-कौन्ट्रेक्टर के रूप में चाही गई कर से छूट अनुमत नहीं की गई है। यह विवाद मूल रूप से 'विक्रय' के तथ्यों पर आधारित है कि क्या अपीलार्थी ने कार्य संविदा की है या माल की सीधे सप्लाई कर इसका विक्रय मुख्य कौन्ट्रेक्टर को किया गया है। इस सम्बन्ध में इसी कार्यादेश की प्रकृति के विवाद पर वर्ष 2006-07 में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा एवं वर्ष 2008-09 के प्रकरण में माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय पारित किये जा चुके हैं जबकि इस अपील में वर्ष 2007-08 का प्रकरण विवादित है परन्तु कार्य आदेश वर्ष 2006 का ही है जो अनवरत रूप से प्रत्येक वर्ष में निष्पादित हो रहा है।

12. हमारे द्वारा इस अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष 2006-07 एवं 2008-09 से सम्बन्धित प्रकरणों में माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 एवं खण्डपीठ के आदेश दिनांक 09.01.2013 का अध्ययन किया गया। माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ का आदेश जो माननीय खण्डपीठ के आदेश के पश्चात् का है एवं उसमें माननीय खण्डपीठ के आदेश में प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के कारण एवं किसी विधि के स्थापित नहीं होने के आधार पर अलग निर्णय करते हुए अपीलार्थी के कार्य को कार्य संविदा नहीं माना गया है। इस तरह एक ही बिन्दु पर कर बोर्ड के विरोधाभासी निर्णय होने से हमारे द्वारा प्रकरण में तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न पर गहन विचार किया गया कि अपीलार्थी को दिया गया कार्यादेश माल की सप्लाई का है अथवा उसे कार्य संविदा करने का ठेका दिया गया है। प्रकरण में रेलवे के रेल विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा I.I.L. को पत्र दिनांक 17.11.2005 द्वारा निम्न कार्य अर्वाड किया गया था -

लगातार.....6

All Permanent way including supply of ballast, P way material (except rails & PSC sleepers) and connected electric work in entire section Rewari to Ajmer (294.56 kmts.) in connection with the work of gauge conversion of meter gauge Railway line to Broad Gauge line to Rawari-Ringus-Phulera-Ajmer section up North Western Railway.

ठेके की शर्त संख्या 7 निम्न प्रकार है :-

7. As per general conditions of contract, condition of particular application and instruction to bidders incorporated in bid document, the contractor shall not sub contract. the total items/component of works more than 50% of the contract IRCON shall take prior approval/consent of the employer for sub contracting component/items of the works giving complete detail of items, the qualifications & experience of the identified sub contractor or in the relevant field.
13. I.I.L. को प्राप्त उक्त कार्य संविदा के निष्पादन हेतु आवश्यक 80,000 क्यूबिक मीटर माल ब्लास्ट सप्लाई किये जाने का आदेश अपीलार्थी को दिया गया था जो निम्न प्रकार है -

"Supply and staking of 80,000 cum of machine crushed stone ballast (size as per RDSO specification at site of work on less/yards, including, handling, leading, lifting, ascends, descends, crossings of lines/tracks abstraction with contractors labour, material, tools, plants, Transport etc. complete for section between 260 to 295 Rewari Ajmer line of North Western Railway."

14. उक्त आदेश से प्रथम दृष्टया प्रतीत है कि अपीलार्थी को ठेकेदार (I.I.L.) की साईट पर ब्लास्ट के चट्टे बनाकर माल देने का था। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि के कथनानुसार मुख्य ठेकेदार I.I.L. द्वारा एक सब-कॉन्ट्रैक्ट अपीलार्थी को दिया गया था तथा मुख्य ठेकेदार ने पूरे ठेके पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 अनुसार करमुक्ति शुल्क अदा कर दिया गया है अतः अपीलार्थी को नियम 22(2ए) अनुसार लाभ प्राप्त होने से कोई करदायित्व नहीं बनता है तथा उसके ऊपर करारोपण दोहरे करारोपण की श्रेणी में आयेगा, जो कि उद्धरित निर्णयों के आलोक में अविधिक होगा। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

15. उक्त समस्त निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि उप-ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य में जहां कार्य संविदा में अन्तर्वलित माल का हस्तांतरण सीधे अवार्डर को हो रहा है, वहां विक्रय का वह भाग मुख्य ठेकेदार के आवर्त में शामिल नहीं हो सकता, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने स्वयं

लगातार.....7

Amrinder
28/03/17

द्वारा मशीन क्रस्ड स्टोन ब्लास्ट की सप्लाई रेलवे लाईन के पास में I.I.L. को की है। यह केवल माल की सप्लाई है जो मुख्य अवार्डर रेल विकास निगम से किसी भी तरह से सम्बद्ध नहीं है एवं न ही अवार्डर के कार्य स्थल पर किसी भी तरह का कार्य संविदा के रूप में कार्य करते हुए माल का हस्तान्तरण मुख्य अवार्डर को किया गया है। जबकि उप-ठेकेदार वही व्यवहारी माना जा सकता है जो ठेके कार्य का कुछ कार्य स्वयं करे जिसके परिणामस्वरूप अवार्डर की साईट पर या उसके पजेशन में माल का हस्तान्तरण स्थायी या अस्थायी सम्पत्ति के अन्दर कोई कार्य करते हुए हो जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी अवार्डर के कार्य में सीधा कोई हिस्सा नहीं ले रहा है बल्कि मुख्य ठेकेदार को उसकी कार्य संविदा की पूर्ति के लिये केवल माल का विक्रय कर रहा है एवं उसके बताये अनुसार Staking कर साईट पर माल उपलब्ध करा रहा है।

16. अपीलार्थी के प्रकरण में ही माननीय खण्डपीठ के अपील संख्या 204/2010/अजमेर निर्णय दिनांक 9.01.2013 में प्रकरण में तथ्यों का त्रुटिपूर्ण विवेचन किया है क्योंकि निर्णय के पैरा 2 में ही अंकित किया है कि -

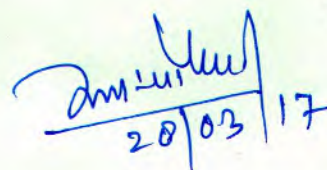
2. यह पाया कि आलोच्य अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी को मैसर्स इरकॉन इन्टरनेशनल लि., नयी दिल्ली (जिसे आगे "मुख्य कार्य संविदा निष्पादक"/"मुख्य ठेकेदार" कहा जायेगा) के द्वारा 80,000 क्यूबिक मीटर स्टोन ब्लास्ट की सप्लाई एवम् स्टेकिंग का कार्य संविदा निष्पादन हेतु प्रदान किया गया है।

17. माननीय खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 9.01.2013 अपीलार्थी द्वारा श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, श्रम कल्याण व्यय, कम्पेक्शन व्यय, साइट व्यय आदि खर्च लेखों में दर्ज होना अंकित किया है, लेकिन ये व्यय कथित उल्लिखित ठेके से ही सम्बन्धित होने का कोई साक्ष्य अंकित नहीं किया है। इसके विपरीत अपीलार्थी को दिया गया आदेश एक सप्लाई आदेश है तथा सप्लाई भी रेलवे लाईन की विहित दूरी पर स्टेकिंग कर की जानी है। इसलिए मजदूरी व्यय भी माल की सप्लाई कीमत में ही जोड़ी जा सकती है।

18. उक्त उद्धरित सभी निर्णयों में किसी मुख्य ठेकेदार द्वारा उसे अवार्ड किये गये कार्य संविदा में वर्णित संविदा कार्य अन्य ठेकेदार को आगे अग्रेषित करने की स्थिति में उप-ठेकेदार की कार्य संविदा निष्पादन राशि को मुख्य ठेकेदार के टर्नओवर में शामिल नहीं करना निर्णीत किया है या मुख्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण ठेके का करमुक्ति प्रमाण-पत्र लेने के पश्चात भागतः कार्य उप-ठेकेदार से कराये जाने पर उप-ठेकेदार का आवृत भी करमुक्ति प्रमाण-पत्र से आच्छादित

लगातार.....8




20/03/17

रहेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उसके ठेकेदार I.I.L. को ब्लास्ट सप्लाई के आदेश दिये जाने की स्थिति में यह कार्य संविदा की परिभाषा में शुमार नहीं होता है। इसके अलावा अपीलार्थी को I.I.L. द्वारा उसे अवार्डर्ड कार्यों को भागतः सम्पूरित किये जाने की कोई संविदा नहीं की गई है। यह तथ्य रेल विकास निगम द्वारा I.I.L. को दिये गये ठेके की शर्त से स्पष्ट होता है। रेल विकास निगम ने उक्त अनुसार निम्न कार्य प्रदत्त किये हैं :-

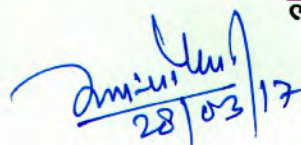
"All Permanent way including supply of ballast, P way material (except rails & PSC sleepers) and connected electric work in entire section Rewari to Ajmer (294.56 kmts.) in connection with the work of guage conversion of meter guage Railwayline to Broad Guage line of Rewari-Ringus-Phulera-Ajmer section up North Western Railway." यह कुल ठेका 157,71,75,414/- का दिया गया है।

19. स्पष्ट है कि I.I.L. को सभी स्थाई कार्य गेज परिवर्तन से सम्बन्धित मय बिजली कार्य किये जाने हैं। स्थाई कार्य हेतु ब्लास्ट सप्लाई को भी शामिल किया गया है। यह ब्लास्ट रेलवे पटरी के नीचे बिछाई जाकर उस पर स्लीपर व पटरी बिछाकर किया जाना है। अपीलार्थी द्वारा ब्लास्ट की सप्लाई स्लीपर के नीचे बिछाकर नहीं दी गई है, बल्कि साईट के पास में चट्टे बनाकर दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के L & T निर्णय (2008) 22 टैक्स अपडेट 217 (एस.सी.) में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार Accretion Theory से Contractee को माल तभी Deemed Supply माना जायेगा, जब वह Contractee की Site पर कार्य करे। यही सिद्धान्त अन्य उद्धरित निर्णयों में भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। रेल विकास निगम व I.I.L. के बीच कार्य संविदा तथा I.I.L. व अपीलार्थी के बीच माल सप्लाई के करार से अपीलार्थी द्वारा Contractee की पटरी Site पर माल के accretion के अभाव में अपीलार्थी को I.I.L. का उप-ठेकेदार नहीं माना जा सकता। इसलिए केवल माल की सप्लाई आदेश की स्थिति में I.I.L. द्वारा निष्पादित कार्य के लिये रेलवे लाइन के पास में ब्लास्ट सप्लाई सीधे विक्रय की परिभाषा में आता है।

20. इस तरह इस पूरे प्रकरण में किया गया विक्रय कार्य संविदा के तहत माल का हस्तान्तरण अर्थात् माल की Deemed sale ना होकर माल का सीधा विक्रय किया गया है जो मुख्य कौन्ट्रेक्टर को अन्य आवश्यक वस्तुओं की कार्य संविदा हेतु आवश्यक माल के रूप में सप्लाई है। माननीय एकलपीठ ने इसी आधार पर निर्णय दिनांक 22.04.2014 में वास्तविक तथ्यों पर निर्णय किया है कि इस पूरे प्रकरण में माल की सप्लाई के रूप में किये गये विक्रय का

लगातार.....9




28/03/17

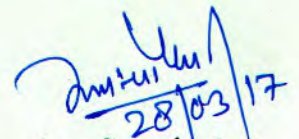
अविधिक रूप से Transfer of goods into work contract बताया जा रहा है। Work contract का कार्य किया जाता तो उस स्थिति में अपीलार्थी के तर्क प्रासंगिक होते कि अपीलार्थी एक Sub-contractor होने से वे Main contractor की ई.सी. होने की स्थिति में उसी कार्य के लिये कार्य संविदा का भाग होने से करमुक्त होते परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी को दिया गया कार्य आदेश अवार्डर की साईट पर कार्य करने के लिये नहीं है बल्कि मुख्य कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाने वाले कार्य को पूर्ण करने के लिये आवश्यक माल की सप्लाई, जो कि F.O.R. Site पर करनी थी एवं एक ढेर लगाते हुए देनी थी जिसमें से माल को मुख्य कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कार्य की आवश्यकतानुसार ढेर से लिया जाकर रेलवे पटरियों पर बिछाया जाने का कार्य किया जाता। इस तरह अपीलार्थी का कार्य केवल माल का विक्रय है अतः उसे Sub-contractor के रूप में E.C. से आच्छादित मानकर करमुक्ति नहीं दी जा सकती।

21. उपरोक्त तथ्यात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि रेलवे विकास निगम द्वारा मुख्य अवार्डर (I.I.L.) को संविदा कार्य का ठेका दिया गया है, जबकि I.I.L. द्वारा अपीलार्थी को केवल माल की सप्लाई का आदेश दिया गया है, जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा मुख्य ठेकेदार के बताये अनुसार साईट पर ब्लास्ट की ढेरी के रूप में माल की सप्लाई की गयी है, जो स्पष्टतः विक्रय की श्रेणी में शुमार होती है, ना कि कार्य संविदा में। अतः अपीलार्थी, मुख्य ठेकेदार I.I.L. के मुक्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर करमुक्ति का पात्र नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत पाये जाते हैं।

22. उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है व कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

23 निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य